<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 36 / 2013

1 केशरी देवी स्त्री शिवचन्दराम।
2 अमीलाल पुत्र शिवचन्दराम।
3 सुभाष पुत्र शिवचन्दराम।
4 हरिसिंह पुत्र शिवचन्दराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण कलगांव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगमाल पुत्र सावल।
2 शिवलाल पुत्र सावल।
3 नानड़ पुत्र सावल समस्त जाति अहिर।
4 जगमाल सिंह पुत्र शिवचन्दराम।
5 प्रभात कुमार पुत्र शिवचन्दराम।
6 सज्जन सिंह पुत्र शिवचन्दराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण कलगांव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7 बहादुर पुत्र गणपत।
8 भूराराम पुत्र गणपत।
9 मोहरसिंह पुत्र गणपत।
10 जीवणी स्त्री बनवारी।
11 विमल पुत्र बनवारी।
12 सुमन पुत्री बनवारी।
13 छोटेलाल पुत्र गणेश।
14 जगदेव पुत्र गणेश।
15 मामराज पुत्र गणेश।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

16 सरिया स्त्री देवकरण।
17 महेश पुत्र देवकरण।
18 विजेन्द्र पुत्र देवकरण।
19 राजेश पुत्र देवकरण।
20 बंसत कुमार पुत्र देवकरण।
21 दलीप सिंह पुत्र मुंगाराम।
22 होशियार सिंह पुत्र मुंगाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पिचानवा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
23 प्रहलाद सिंह पुत्र चुनाराम।
24 हरफूल सिंह पुत्र चुनाराम।
25 हरदयाल सिंह पुत्र चुनाराम।
26 बहादुर सिंह पुत्र चुनाराम समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण पिचानवा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
27 कमला देवी स्त्री रघुवीर।
28 दलीप पुत्र रघुवीर।
29 सत्यवीर दत्तक पुत्र दरिया सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण पिचानवा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
30 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 23.05.2013 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी लगमाल बनाम केशरी देवी वगैरह मुकदमा नम्बर 76/2012 अन्तर्गत धारा 225क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 9.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 76/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने धारा 251ए का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम कलगांव से हीरवा को जाने वाली पुख्ता सड़क से ग्राम हीरवा की सीमा में स्थित जमीन हाल खसरा नम्बर 154 खसरा नम्बर 175, खसरा नम्बर 176, खसरा नम्बर 177 की उत्तरी सीमा से तथा खसरा नम्बर 177 की पूर्वी सीमा से होकर व खसरा नम्बर 265 में से 10 फुट चौड़ा रास्ता हाल खसरा नम्बर 266/1 लगायत 266/3 वाके ग्राम कलगांव की जमीन में आने जाने के लिये प्रदान करने की मांग की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। रेस्पोडेंट के पास स्वंय की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये ग्राम हीरवा के खसरा नम्बर 223,183,182, 227,181,126,225,180 के मध्य से कटानी रास्ता (वैकल्पिक रास्ता) खसरा नम्बर 224 अवस्थित है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251ए प्रावधान लागु नही होते है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई अंकन नही है। विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते के सन्दर्भ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में विचाराधीन निर्णय में कोई विवेचन नही किया है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 251ए की परिधि में नही आता है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा धारा 251ए का आवेदन प्रस्तुत होने पर अपीलांट की तलबी की गई है, विचारण न्यायालय में अपीलांट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। जवाब देही के उपरान्त विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा धारा 251ए का आवेदन प्रस्तुत होने पर अपीलांट की तलबी की गई है, विचारण न्यायालय में अपीलांट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। जवाब देही के उपरान्त विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। धारा 251ए में संक्षिप्त विचारण होता है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर